संगठन एवं इसके कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

1.1.1 - संगठन का नाम और पता

विभिन्न स्तरों पर मुख्य कार्यालय और अन्य कार्यालयों के नाम और पते

स्थायी परिसर

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय,
गांव जांट-पाली,
जिला- महेंद्रगढ़,
राज्य- हरियाणा
पिनकोड: 123029
दूरभाष: 01285-249402
ईमेल: registrar@cuh.ac.in

अस्थायी परिसर/ ट्रांजिट कार्यालय:

साइट संख्या 3113, मकान संख्या टी-25/8 के सामने,
ब्लॉक-टी, डीएलएफ फेज-3,
सेक्टर-24, गुड़गांव-122010

1.1.2- संगठन प्रमुख

विश्वविद्यालय के कुलपति।

1.1.3- लक्ष्य, ध्येय और मुख्य उद्देश्य

लक्ष्य:

- नवप्रवर्तक, रचनात्मक प्रयासों और विद्वतापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हुए व्यक्ति, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व की शांति और समृद्धि के लिए एक ज्ञानवान समाज के लिए प्रबुद्ध नागरिकता का विकास करना।

ध्येय:

- छात्रों और संकाय की तरक्की और विकास के लिए सीखने का माहौल प्रदान करना। विश्वविद्यालय की यह व्यवस्था अग्रणी अनुसंधान, विद्वतापूर्ण अनुसंधान एवं रचनात्मक प्रयासों का अनुसरण करते हुए नवप्रवर्तक कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत की शैक्षिक सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में योगदान देगी।
- विश्वविद्यालय विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ एक सीखने का माहौल बनाने और नवीन अध्यापन और समग्र अभिगम के माहौल के द्वारा छात्रों के उपयोगी ज्ञान, संचार कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमताओं के अर्जन को बढ़ाने का प्रयास करना।
- ज्ञान की सीमाओं में पारंपरिक विषयों और नए/ उभरते क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना।
- प्रत्येक क्षेत्र/ विषय में प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर ध्यान देना।
- शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्रों में एक वैश्विक ब्रांड बनना।

- संकाय और छात्रों दोनों के लिए प्रासंगिक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रदान करना।
- परिसर में प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने का माहौल प्रदान करने में सरकार, उद्योग, समुदाय आदि सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करना।
- नव ज्ञान और समाज के केंद्र-बिंदु को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम की लगातार समीक्षा और अद्यतन करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी करना।
- शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में अंतःविषयक दृष्टिकोण रखना।
- परिसर में उच्चतम स्तर की ईमानदारी, नैतिकता और मूल्यों का निर्माण करना और उसे बनाए रखना तथा इन मुख्य घटकों की कमी के संबंध में शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करना।
- वर्तमान शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों का उनके विविध केंद्र बिंदू में उत्तरोत्तर विस्तार करना और चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन करना।
- प्रत्येक विषय में रचनात्मकता और नवीनता को प्रोत्साहित करना।

<u>लोक प्राधिकरण का उद्देश्य</u>:

विश्वविद्यालय के निम्न उद्देश्य होंगे

- विद्याओं की उचित शाखाओं में शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करते हुए विद्याओं का प्रसार एवं उन्नति करना;
- विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करना;
- अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया और अंतर-विषयी अध्ययन और अनुसंधान में नवीनता लाने के लिए समुचित उपाय करना;
- देश के विकास के लिए मानवशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना;
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए उद्योगों से संबंध स्थापित करना; और
- लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने तथा लोक कल्याण के लिए, उनके बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास करना।

1.1.4- <u>कार्य और कर्तव्य</u>

<u>सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्तव्य:</u>

सृजन करना:

- छात्रों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक परिसर का सहयोगी वातावरण, नेतृत्व और विकास के अवसर और सुविधाएं।
- शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, जिसमें निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी, छात्र सहयोगी सेवाएं, और जीवन-पर्यंत अधिगम शिक्षा (आभासी कक्षा, ऑनलाइन पाठ और परीक्षा, ई-अध्यापन और अधिगम) शामिल हैं।
- भारत और विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से भौतिक, मानव, सूचना और अन्य संसाधनों को साझा करने की प्रतिबद्धता।
- अध्यापन, अधिगम और अनुसंधान के लिए अंतर-विषयक, बहु-विषयक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना।
- नवीनतम विकास करके और उद्योग, व्यवसाय, कॉर्पोरेट क्षेत्र और समुदाय सहित संकाय, छात्रों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके समय-समय पर पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों की समीक्षा और संशोधन करना।

- व्याख्यान पद्धति, समूह चर्चा, समकक्ष शिक्षा, संगोष्ठी पाठ्यक्रम के बजाय सीखने के लिए अधिक संवेदनशील और चिंतनशील शिक्षण अध्यापन- सहभागी, इंटरैक्टिव और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना तथा शैक्षणिक एजेंडा को निर्देशित करना सीखने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना।
- केवल विषय सामग्री ही सीखने के लिए ही नहीं बल्कि कक्षा में किए गए योगदान और प्राप्त अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के लिए सेमेस्टर प्रणाली और वैकल्पिक क्रेडिट प्रणाली, और मूल्यांकन प्रणाली का पालन करना।
- सभी कार्यक्रम सेमेस्टर मोड विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली(सीबीसीएस) पर प्रस्तावित किए जाते हैं। क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) में कई अनूठी विशेषताएं हैं:
- सीखने के बेहतर अवसर, छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं में तालमेल की क्षमता, छात्र को अन्य विद्यापीठों से अध्ययन के विषय चुनने की सुविधा, शैक्षिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार, देश भर में नवाचार और शैक्षिक कार्यक्रमों की तुलनात्मकता, आदि। सीबीसीएस के इन सभी पाठ्यचर्या संबंधी नवाचारों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए उपयुक्त आधुनिक छात्रों के ज्ञान और समग्र विकास के ऊर्ध्वाधर एकीकरण को प्राप्त करना है। सीबीसीएस उभरते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में विशेष रूप से उपयुक्त है, और आने वाली पीढ़ियों की शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। आधुनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता के द्वारा, देश में छात्रों, संस्थानों और उच्च शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सीबीसीएस की कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालन की अधिक संभावना है। यह 'क्रेडिट' एक 'पाठ्यक्रम' के लिए निर्धारित सामग्री/ पाठ्यक्रम की मात्रा को परिभाषित करता है और प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देश के घंटों की संख्या (ट्यूटोरियल, टर्म पेपर, असाइनमेंट, व्यावहारिक कार्य, कक्षा अधिगम आदि सहित) को निर्धारित करता है।
- उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ मजबूत साझेदारी और गठबंधन करना।
- संयुक्त डिग्री, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और ट्विनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- कम लागत, बेहतर सुविधाओं, लोकतांत्रिक लोकाचार और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का लाभ उठाकर विदेशी छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान, कानून और शासन में नवाचार को बढ़ावा देने और ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय अनुसंधान का समर्थन करने के लिए सतत विकास विश्वविद्यालय के समग्र मिशन का अभिन्न अंग होना चाहिए जो आज इस क्षेत्र में हमारे लिए और विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1.1.5- <u>संगठन चार्ट</u>

विभिन्न स्तरों नामत: राज्य, निदेशालय, क्षेत्र जिला, ब्लॉक आदि (जो भी लागू हो) पर संगठनात्मक संरचना आरेख

भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, नामत:-

(1) कुलाधिपति;
(2) कुलपति;
(3) सम-कुलपति;

(4) विद्यापीठों के अधिष्ठाता;
(5) कुलसचिव;
(6) वित्त अधिकारी;
(7) परीक्षा नियंत्रक;
(8) पुस्तकालयाध्यक्ष; और
(9) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

1.1.6- <u>अन्य कोई विवरण</u>

समय-समय पर विभाग और विभागाध्यक्षों की उत्पत्ति, स्थापना, गठन के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों पर विचार किया गया है।

लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का संदर्भ

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम- 2009 (2009 के अधिनियम संख्या 25) के तहत की गई है। विश्वविद्यालय का निर्माण-स्थान जांट-पाली गांव, महेंद्रगढ़, हरियाणा में निश्चित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से निर्माण स्थान निश्चित किया गया है।

विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एम.फिल. तथा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पी.एचडी. के शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करते हुए 19 नवंबर 2009 को विश्वविद्यालय को अधिकार सौंपने के बाद नारनौल में राजकीय बी.एड. महाविद्यालय के भवन से अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की शुरुआत की है।

लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की सूची उन पर संक्षिप्त विवरण के साथ।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण- विश्वविद्यालय अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय के पास विषय से संबंधित नवीनतम विकास को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और संकायगण उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए पर्याप्त सक्षम है।

सलाह और परामर्श- बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, कॉलेज के छात्रों को जहां कहीं भी जरूरत होती है, वहां संकाय द्वारा उनको सलाह और परामर्श प्रदान किया जाता है।

अनुसंधान- विश्वविद्यालय में हितधारकों के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों की लगातार समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए एक योजना मंडल होगा। बेहतर प्रदर्शन के लिए नियमित रूप से निगरानी करने और सुझाव प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र होंगे। इस तरह की व्यवस्था के गठन में विश्वविद्यालय के बाहर के साथ-साथ भीतर से भी विविध अनुभव और विशेषज्ञता को शामिल किया जाएगा। शिक्षण संकाय, छात्र समुदाय और सहायक कर्मचारियों के विचार, अनुभव और सलाह विश्वविद्यालय के निष्पादन की योजना बनाने, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने में प्रमुख निवेश होंगे।

प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए जनता से सार्वजनिक प्राधिकरण की अपेक्षाएँ

विश्वविद्यालय के अंदर और उसके आसपास मर्यादा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना।

जनभागीदारी/ योगदान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था और विधियाँ

जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 और विश्वविद्यालय के संविधि, विश्वविद्यालय के

अध्यादेशों और कार्यकारी परिषद के निर्णयों के अनुसरण में जारी अधिसूचनाओं में परिभाषित किए गए है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम- http://www.cuh.ac.in/pdf/Act2009.pdf
अध्यादेश- http://www.cuh.ac.in/CUH-Ordinances.aspx
बैठक का कार्यवृत्त- http://www.cuh.ac.in/committeeminute.aspx
अधिसूचना- http://www.cuh.ac.in/notification-details.aspx

सेवा वितरण और लोक शिकायत समाधान की निगरानी के लिए उपलब्ध तंत्र

जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 और विश्वविद्यालय के संविधि, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और कार्यकारी परिषद के निर्णयों के अनुसरण में जारी अधिसूचनाओं में परिभाषित किए गए है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम- http://www.cuh.ac.in/pdf/Act2009.pdf
अध्यादेश- http://www.cuh.ac.in/CUH-Ordinances.aspx
बैठक का कार्यवृत्त- http://www.cuh.ac.in/committeeminute.aspx
अधिसूचना- http://www.cuh.ac.in/notification-details.aspx

कार्यालय का सुबह का समय:
प्रात: 9.00 बजे
कार्यालय के समापन का समयः
सायं 5.30 बजे तक

***विश्वविद्यालय शाधार्थियों को विश्वस्तरीय शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। वास्तविक जीवन संगोष्ठी आदि के माध्यम से अनुसंधान पद्धति के सीखने पर जोर दिया जाता है।**

अनुलग्नक-I

संगठन चार्ट

कुलाधिपति															
कुलपति															
सम-कुलपति															
स्कूलों के अधिष्ठाता	अधिष्ठाता (ए एण्ड आर)	प्रोक्टर	डीएसडब्ल्यू	प्रोवोस्ट	पुस्तकालयाध्यक्ष	वित्त अधिकारी	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव							
विभागाध्यक्ष															
प्राध्यापक															
सह प्राध्यापक				वार्डन											
					उप पुस्तकालयाध्यक्ष										
						आईएओ	उप कुलसचिव								
											कार्यकारी अभियंता				
													मुख्य सुरक्षा अधिकारी		
सहायक आचार्य				सहायक वार्डन	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष										
					सूचना वैज्ञानिक		सहायक कुलसचिव			चिकित्सा अधिकारी		हिंदी अधिकारी		सिस्टम विश्लेषक	पीआरओ
							अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव				सहायक अभियंता		सुरक्षा अधिकारी		
					व्यावसायिक सहायक		सहायक/ निजी सहायक			नर्स	कनिष्ठ अभियंता	हिन्दी अनुवादक		मुख्य तकनीकी सहायक	
					अर्द्ध/ कनिष्ठ व्यावसायिक सहायक					फॉर्मासिस्ट			सुरक्षा निरीक्षक	तकनीकी सहायक	
							यूडीसी							प्रयोगशाला सहायक	
					पुस्तकालय सहायक										
							एलडीसी	केयर टेकर/ रसोईया/ ड्राइवर				हिंदी टंकक			
					पुस्तकालय परिचर		ओए/ एमटीएस	छात्रावास/ रसोई परिचर		चिकित्सा परिचर				प्रयोगशाला परिचर	